**राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2024**

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा श्री विजय कुमार बसेर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पत्र पर विचार/आदेश हेतु नियत है।

उभयपक्ष को उक्त आवेदन पर सुना गया।

इस आदेश के द्वारा उभयपक्ष की ओर से राजीनामा डॉकेट में व्यक्त किया है कि फरियादी पक्ष तथा अभियुक्त पक्ष के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। अतः वह अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के किया जा रहा है। अतः आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा डॉकेट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323 506 भाग–2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है। उक्त धारायें शमनीय प्रकृति की हैं। अतः उक्त परिस्थितियों में राजीनामा डॉकेट स्वीकार किया जाता है। राजीनामा डॉकेट के आधार पर अभियुक्त मान सिंह को उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप धारा 294, 323 506 भाग–2 भा.द.सं. से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत/मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा जमानतदार उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/–
(डालचंद)
पीठासीन अधिकारी,
राष्ट्रीय लोक अदालत,
खण्डपीठ क्रमांक–29
नारायणगढ़ जिला–मंदसौर (म.प्र.)

सदस्यगण :–

1. श्री बद्रीलाल चौहान